अ0शा0प0सं0-742/चौवालिस-1/1990

आर0 रमणी,
सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
उ0प्र0 शासन
दिनांक : लखनऊ, 5 मई, 1990

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया को विनियमित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-1585/चौवालिस-1/1987, दिनांक 27 अगस्त, 1987 एवं तत्कालीन सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग/श्रीमती नीरा यादव के अ0शा0प0सं0-745/चौवालिस-1/1988, दिनांक 5 अप्रैल, 1988 में निर्गत आदेशों के क्रम में आपसे यह कहने की मुझसे अपेक्षा की गई है कि यदि किसी मामले में सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के उपरान्त दोषी पाये गये लोक सेवकों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति से आप सहमत नहीं होते हैं और भिन्न मत रखते हैं तो अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व मामला प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा जो सतर्कता सचिव के माध्यम से "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर उसका मत प्राप्त करेंगे तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

2- इसी प्रकार सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति पर दण्डित लोक सेवक यदि अपील करता है और यदि आप इस अपील को स्वीकार करना चाहते हैं तो इस पर अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व मामला प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा जो सतर्कता सचिव के माध्यम से "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर उनका मत प्राप्त करेंगे और अग्रिम कार्यवाही उसके उपरान्त ही की जायेगी।

3- यह भी अनुरोध है कि प्रशासनाधिकरण के सम्बन्धित मामलों में यदि आप सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति से भिन्न मत रखते हैं तो उस पर भी अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व उसे प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत करेंगे जो सतर्कता सचिव के माध्यम से "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर उसका मत प्राप्त करेंगे और अग्रिम कार्यवाही उसके उपरान्त की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि "राज्य सतर्कता समिति" को सतर्कता विभाग द्वारा संस्तुत मामलों में हो रहे विलम्ब की समीक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त है। अतएव अनुरोध है कि सतर्कता विभाग द्वारा संस्तुत मामलों में कार्यवाही तत्परता से की जाये।

कृपया तात्कालिक प्रभाव से उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
आर0 रमणी ।

1-राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासकीय विभागों के सचिव/विशेष सचिव।

संख्या-742 (1)/चौवालिस-1/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) सतर्कता अनुभाग-1, 2, 3 व 4
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(5) निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।